न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मा नम्बर 32 / 2021 दायर दिनांक–03.02.2021

1. नोपाराम पुत्र नारायण जाति गुर्जर निवासी टौंक ढाका की ढाणी तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू।
–वादी

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
–प्रतिवादी

वकील वादी : – श्री सुरेश कुमार सीगड़
वकील प्रतिवादी :– एकपक्षीय

दावा बाबत : रिकॉर्ड दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

दिनांक–24.01.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि ग्राम टौंक ढाका की ढाणी पटवार हल्का टौंकछिलरी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 210 रकबा 0.1700 है0 भूमि का आवासीय भूमि दर्ज की जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रकरण में प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु नोपाराम व भंवरलाल के चिफ के सपथ पत्र पेश किये। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78 प्रदर्श 2 नकल संपरिर्वतन आदेश प्रदर्श 3 नकल जमाबंदी सम्वत् 2047–50 प्रदर्श 4 नकल जमाबंदी सम्वत 2051–54 प्रदर्श 5 नकल जमाबंदी सम्वत् 2055–58 प्रदर्श 6 नकल जमाबंदी सम्वत् 2063–66 आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस मे वाद–पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध संपरिवर्तन आदेश दिनांक 17.06.2000 के अनुसार उक्त विवादग्रस्त भूमि का संपरिर्वन कृषि भूमि से आवासीय भूमि के रूप में सक्षम अधिकारी द्वारा रूपांतरण हो चुका है। अतः उक्त विवादग्रस्त भूमि को आवासीय भूमि के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम टौंक ढाका की ढाणी पटवार हल्का टौंकछिलरी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 210 रकबा 0.1700 है0 भूमि की किस्म आवासीय के रूप में दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 24.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा.ट्रे.) नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:35:34 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:– 32/2021 **(नोपाराम बनाम तहसीलदार आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुददई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनाक 24.01.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम टौंक ढाका की ढाणी पटवार हल्का टौंकछिलरी की सरहद मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 210 रकबा 0.1700 है0 भूमि की किस्म आवासीय के रूप में दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 24.01.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

मुददई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:35:34 IST
Reason: SelfAttested